<u>राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर</u>

<u>आदेश</u>

S.B.Civil Miscellaneous Appeal No.732/2017

विजय कुमार छाबड़ा एवं अन्य

बनाम

रेलीगेयर फिनवेस्ट लि. एवं अन्य

RAJASTHAN HIGH COURT

आदेश दिनांक **10** सितम्बर **, 2018**

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा</u>

श्री जे के धींगरा अधिवक्ता- अपीलार्थीगण की ओर से
श्री आशुतोष भाटिया अधिवक्ता-प्रत्यर्थीगण की ओर से

--

विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी श्री जे के धींगरा ने निवेदन किया है कि एकलपंच श्री नितिन चढ्ढा को प्रत्यर्थी-कम्पनी द्वारा कई केसो में एकलपंच नियुक्त किया गया है तथा वे कम्पनी के अधिवक्ता भी रहे हैं, जो लोक नीति के विरूद्ध है और इसी आधार पर देहली उच्च न्यायालय ने ओ एन पी 1038/2014 आदित्य गनप्पा एवं अन्य बनाम रेलीगेयर फिनवेस्ट लि. के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 30.01.2015 को एकलपंच नितिन चढ्ढा के पंचाट को लोक नीति के विरूद्ध मानते हुए अपास्त कर दिया है।

प्रत्यर्थी-कम्पनी के अधिवक्ता श्री आशुतोष भाटिया ने निवेदन किया है कि वे उक्त न्यायिक दृष्टान्त में देहली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई एस एल पी फाइल हुई है या नहीं, इस सम्बन्ध में वे अपने निर्देश पूर्ण कर बहस हेतु अवसर चाहते हैं, जो प्रार्थनानुसार उन्हे प्रदान किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 24.09.2018 को पुन: न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे। तब तक अधिवक्ता प्रत्यर्थी-कम्पनी ने निवेदन किया है कि वे इजराय की कार्यवाही नहीं करेंगे।

(न्या0 बनवारी लाल शर्मा **)**

<u>अनिलशर्मा/M-25</u>